



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

सम्बल
मुन्नीर
212050030044213
751213009216

तारीख: 03/07/2021

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरुष
माता का नाम
जिला
ग्राम
तहसील
जिला

निशा कुमारी
मनीकपुर
मुन्नीर
0, मुन्नीर
मुन्नीर
सम्बल



उत्तर प्रदेश राज्य की **अछूत** जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह प्रमाणित किया जाता है कि निशा कुमारी पुरुष अधिनियम 1994 (तथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एक जो 2010 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं मामलादेत संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2004 द्वारा संशोधित की गई है, से अप्रभावित नहीं है। इनके माता-पिता की निम्नलिखित तीन वर्गों की अवधि के निम्ने मकान वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास छत घर अधिनियम 1993 में तथा विहित छत सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



DEVENDRA MANI
TRIPATHI

Digitally Signed by
DEVENDRA MANI
Tripathi
O=Personal,
CN=DEVENDRA
MANI TRIPATHI
SH/UP/Pradesh

मुख्य अधिकारी/तहसीलदार
विशेष हस्ताक्षरित
मुन्नीर, सम्बल
दिनांक: 03/07/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक विधिद्वारा विवरण द्वारा वैधता प्रमाणित किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से सुरक्षित है। यह प्रमाणित है कि यह आवेदन द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी के आधार पर सत्यापित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल <https://nidhiic.lup.gov.in> पर प्रमाणित करने के लिए प्रमाणपत्र क्र० अतिरिक्त प्रमाणित किया जा सकता है।